सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–15.11.2021 को अपराहन् 03:00 बजे मेसर्स विश्वनाथ अग्रवाल, गुलाबबाग पूर्णियाँ के द्वारा आवेदित आवेदन संख्या–BHA2112172897 तथा मेसर्स इवरक्रॉप एग्रो साइन्सेज के द्वारा आवेदित आवेदन संख्या–SEL2302665499, SEL2304027260 तथा SEL2303294901 के संबंध में की गई सुनवाई एवं पारित आदेश।

कृषि निदेशक के आदेश ज्ञापांक–3885 दिनांक–22.10.2021 के द्वारा मेसर्स इवरक्रॉप एग्रो साइन्सेज को प्रदत्त बीज अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत फसल प्रभेदो की प्रविष्टि हेतु दिये गए तीन आवेदनों यथा आवेदन संख्या–SEL2302665499, SEL2304027260 तथा SEL2303294901 को अस्वीकृत किया गया है। साथ ही कृषि निदेशक के आदेश ज्ञापांक–3897 दिनांक–22.10.2021 के द्वारा मेसर्स विश्वनाथ अग्रवाल, गुलाबबाग पूर्णियाँ द्वारा नई बीज अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन में Hybrid/Other प्रकार के प्रभेदों को हटाते हुए केवल अधिसूचित प्रकार के प्रभेदों की बिक्री की अनुमति अनुज्ञप्ति संख्या– SL21106102197487, दिनांक–08.10.2021 द्वारा दी गई है।

उक्त आदेशों के विरुद्ध दोनों प्रतिष्ठानों द्वारा Hybrid/Other प्रकार के प्रभेदों की प्रविष्टि हेतु अपील आवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त दोनों अपील आवेदनों पर दिनांक–15.11.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के समय प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि, उनके अधिवक्ता, संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान तथा सहायक निदेशक, पौ0 सं0 मुख्यालय उपस्थित थे।

उपर्युक्त वर्णित दोनों अपील अभ्यावेदनों, इससे संबंधित कागजातों का अवलोकन एवं समीक्षा की गई एवं दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की बातों को सुना गया। अपिलकर्त्ता के द्वारा मुख्य रूप से निम्न बातों पर जोर देते हुये अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया :–

1. बीज अधिनियम–1966, तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 सिर्फ अधिसूचित प्रभेदों का ही विनियमन करता है। परन्तु बीज नियंत्रण आदेश 1983 में संशोधन करते हुए GSR 444 (E) दिनांक–26.07.2006 द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 में खण्ड 8 के पश्चात निम्न खण्ड अंतः स्थापित किया गया है–

   "8 क. बीजों के संबंध में व्यवहारियों द्वारा कतिपय मानकों का सुनिश्चित किया जाना :

   बीजों के अधिसूचित प्रकार या किस्म अथवा अधिसूचित प्रकार या किस्मों से अन्यथा बीजों का प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा दावा किये गए बीजों की गुणवत्ता के मानक बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 6 के अधीन बीजों के अधिसूचित प्रकार या किस्म के लिए विहित मानकों और लेबल के आकार, रंग और अंतर्वस्तु के संबंध में यथाविहित कोई अन्य अतिरिक्त मानक के अनुरुप होंगे।"

   उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 का GSR 444 (E) दिनांक–26.07.2006 अधिसूचित प्रकार के अन्यथा बीजों के प्रकार का भी विनियमन करता है।

2. आवेदन करने हेतु कृषि निदेशालय के ऑनलाईन पोर्टल पर Other प्रकार के बीजों के आवेदन करने हेतु विकल्प Dropdown में दिया गया है तथा पूर्व में भी अधिसूचित प्रकार से भी अन्य प्रकार के बीजों के लिए कृषि निदेशालय से अनुज्ञप्तियाँ निर्गत हुई हैं।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या–176 Shakthi Seeds (P) Ltd vs. Dy. Commissioner (CT) and Others के मामले में भी कृषि प्रयोजन के लिए विक्रय किए जानेवाले दो प्रकार के बीजों यथा Certified Seeds and/or Truthfully Labelled Seeds का जिक्र किया गया है, जो अधिसूचित बीजों के अलावे अन्य प्रकार के बीजों के विक्रय का विनियमन करता है। इस मामले में भी अपीलकर्ता द्वारा आवेदित बीजों का प्रकार Truthfully Labelled होने की Undertaking देने का आश्वासन दिया गया।
4. प्रतिष्ठान द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन में अस्वीकृत किए गए प्रभेद यथा Arize-6129 Gold तथा PHB-71जो अधिसूचना के अनुसार बिहार के लिए अधिसूचित नहीं होने पर भी राज्य सरकार के बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बिहार सरकार को विभिन्न योजनाओं में अनुदानित दर पर किसानों के बीच बीज वितरण किया जा रहा है। इससे भी स्पष्ट है कि पूर्व से विभाग के द्वारा अधिसूचित बीज के अलावे अन्य बीजों का भी मान्यता दी गयी एवं सरकारी योजना में ऐसे बीजों का वितरण भी किया गया।
5. कृषि निदेशालय का पत्रांक–2408 दिनांक–09.06.2017 जिसमें केवल अधिसूचित एवं राज्य के लिए अनुसंशित प्रभेदों की बिक्री की अनुमति दिये जाने का आदेश दिया गया है, पूर्ण रुप से कार्यान्वित नहीं हो रहा है। कृषि निदेशालय के द्वारा कुछ महीनें पूर्व तक अधिसूचित बीज के अलावे अन्य बीज के लिए भी अनुज्ञप्ति दिया जा रहा था।
6. अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया कि हाईब्रिड मक्का तथा हाईब्रिड धान के मामले में अधिकतर किसानों द्वारा Truthfully Labelled बीजों का ही प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही कई बीज अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों के अनुज्ञप्ति में अधिसूचित बीजों के अलावे अन्य प्रभेद भी अंकित हैं। कुछ प्रतिष्ठानों को Hybrid/Truthfully Labelled बीजों की बिक्री की अनुमति देना तथा कुछ प्रतिष्ठानों को इससे वंचित करना उचित नहीं है तथा बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों को Level playing Field उपलब्ध नहीं कराना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यह विदित है कि अधिक उत्पादनशील हाईब्रीड प्रभेदों की खेती से सीमांचल के किसानों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन देखा गया है। साथ ही Hybrid/Truthfully Labelled प्रभेदों की बिक्री पर रोक से किसानों के लिए बीजों की उपलब्धता पर संकट हो सकता है।

आदेश– अपील अभ्यावदेन, कृषि निदेशक के वर्णित आदेशों में संबंधित कागजातों का अवलोकन, दोनों पक्षों की सुनवाई एवं उपरोक्त तथ्यों अवलोकन के बाद स्पष्ट है कि अपील में वर्णित कृषि निदेशालय के आदेश में बीज नियंत्रण आदेश 1983 में हुये संशोधन (GSR 444 (E) दिनांक–26.07.2006) पर विचार नहीं किया गया। कृषि निदेशालय के अनुज्ञप्ति संबंधित ऑनलाईन पोर्टल पर Other प्रकार के बीजों का आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान भी है एवं पूर्व से Other प्रकार के बीजों की अनुज्ञप्ति लगातार दिया जा रहा था। उपर वर्णित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भी स्पष्ट है कि अधिसूचित बीज के अलावे अन्य बीजों Truthfully Labelled बीज की मान्यता भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अपील में वर्णित बीज प्रभेद जिसको कृषि निदेशक के स्तर पर अस्वीकृत किया गया,

उस बीज का वितरण कृषि निदेशालय के योजना में किया जा रहा है। साथ ही राज्य में हाईब्रीड मक्का एवं हाईब्रीड धान के मामले में Truthfully Labelled बीज का ही प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में भी राज्य में अधिकांश अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों के द्वारा इस बीज का बिक्री किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने से अन्य प्रतिष्ठानों के तुलना में, अपीलकर्त्ता level playing field से वंचित हो रहे।

इस परिप्रेक्ष्य में कृषि निदेशक के ज्ञापांक –3885 दिनांक–22.10.2021 तथा ज्ञापांक–3897 दिनांक–22.10.2021 जिनके द्वारा मेसर्स इवरक्रॉप एग्रो साइन्सेज तथा मेसर्स विश्वनाथ अग्रवाल, गुलाबबाग पूर्णियाँ के द्वारा आवेदित बीज के Hybrid/Other प्रकार के प्रभेदों की बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति अस्वीकृत की गई है, को स्थगित किया जाता है तथा दोनों प्रतिष्ठानों द्वारा आवेदित बीज के Hybrid/Truthfully Labelled प्रकार के प्रभेदों की बिक्री की अनुमति दी जाती है।

कृषि निदेशालय के पत्रांक–2408 दिनांक–09.06.2017 के माध्यम से निर्गत निदेश का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अतः इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से मार्गदर्शन निदेशालय स्तर से प्राप्त किया जाय, तदोपरान्त इस संबंध में समुचित अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

ह०/–

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 09/उपा0/बीज अनुज्ञप्ति-55/09-4114 /कृ0, पटना, दिनांक 16-11-,2021

प्रतिलिपि:– मेसर्स इवरक्रॉप एग्रो साइन्सेज, 305, एम्बीशन रेसीडेन्सी, एक्जीविशन रोड, पटना, बिहार/मेसर्स विश्वनाथ अग्रवाल, एन0एच0–31, गुलाबबाग, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 09/उपा0/बीज अनुज्ञप्ति-55/09-4114 /कृ0, पटना, दिनांक 16-11-,2021

प्रतिलिपि:– 1. निदेशक, बसोका, मीठापुर, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।